न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 363 / 2005 / बीकानेर

1—लिखमसिंह
2—डूगरसिंह
3— विशनसिंह
पिसरान स्व. श्री बक्ससिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जोधासर उपनिवेशन तहसील पूंगल जिला बीकानेर
4—भीखसिंह
5— सांगसिंह
पिसरान स्व.श्री आसूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जोधासर उपनिवेशन तहसील पूंगल जिला बीकानेर
6—मदनसिंह
7—किसनसिंह
8—अनोपसिंह
9—मांगीसिंह
10—प्रेमसिंह
11— जसूसिंह
पिसरान स्व.श्री श्री रिडमलसिंह पुत्र बक्स सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जोधासर उपनिवेशन तहसील पूंगल जिला बीकानेर

———अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार

—— रैस्पोडेंट

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग,सदस्य

उपस्थितः—

श्री एन0के0 गोयल अभिभाषक, अपीलांट की ओर से
श्रीमति पूनम माथुर उप राजकीय अभिभाषक रैस्पोडेंट

निर्णय **दिनांकः 13 —05—2019**

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26—10—2004 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है।

अपील / डिक्री / टी.ए. / 363 / 2005 / बीकानेर

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगड मुख्यालय, बीकानेर के समक्ष वादीगण / अपीलांटस द्वारा एक वाद बावत घोषणा एवं रिकार्ड दुरस्ती विरुद्ध राजस्थान सरकार के इस आशय का पेश किया कि दावा के मद संख्या एक में वर्णित विवादित आराजीयात वादीगण के दादा , पिता के नाम से सं0 2005 से पूर्व की खुदकाश्त खातेदारी धारण में चली आ रही है। पिता की मृत्यु के बाद उक्त रकबा वादीगण के नाम से जरिये विरासतन इन्तकाल दर्ज किया जो वादीगण के कब्जे व काश्त में चली आ रही है। लेकिन उपनिवेशन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही से वादीगण के नाम से उक्त भूमि के स्थान पर बारानी क्षेत्र में ही स्कीम से बाहर रिकार्ड में रख दिया गया जबकि वादीगण ना तो कभी वहॉ काबिज थे और ना ही वादीगण का मौके पर कब्जा व काश्त है। वादीगण के नाम से उक्त भूमि दर्ज न की जाकर बिना वादीगण को सुनवाई को अवसर दिये बिना मौके की जानकारी लिये वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि को राजस्व रिकार्ड में रकबा राज दर्ज कर दी गयी है जबकि खसरा नम्बर 100,102, 174, 276, रकबा 67 बीघा वादीगण के नाम से सं0 2005 से खुदकाश्त की हैसियत से मौके पर काबिज चले आ रहे है। यह कि वादीगण राजस्व रिकार्ड में चक 7 बी एम के मु. नं. 108 / 14, 22, 23, 31,32, 39, 40 की उपरोक्त 67 बीघा जो प्रतिवादी एवं आराजी राज दर्ज है, के स्थान पर दुरस्त कर अपने नाम खुदकाश्त खातेदार घोषित कराने व गलत रुप से वादीगण के नाम फिट की गयी भूमि स्कीम से बाहर की खसरा नंबर 100,102,174,276 की को प्रतिवादी के नाम से दर्ज करवाने के हकदार है। अन्त में दावा डिक्री कर प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। दावा प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। दावा व जबावदावा के आधार पर प्रकरण में कुल 5 तनकियात कायम की गयी। तदोपरान्त विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8—12—2003 के द्वारा वादीगण / अपीलांटस का वाद अन्तगर्त धारा 88—188 व धारा 136 स्वीकार कर तदानुसार दावा डिक्री कर दिया तथा साथ ही यह भी अंकित किया कि इसके अतिरिक्त वादीगण के खसरा नम्बरान 100,102,174,276 की 66 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से यदि कोई भाग इनके नाम रहता है तो उसे आराजी राज दर्ज किया जावे। जिसके विरुद्ध सरकार की की ओर से एक अपील न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की, जिन्होने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26—10—2004 के द्वारा अपील अपीलांटस स्वीकार कर, अधीनस्थ परीक्षण

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8–12–2003 को निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– अपील पर दोनो पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

4– दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांटस का मुख्य तर्क यह है अपीलांटस विवादित भूमि पर काफी अर्से से काबिज है और मौके पर आबाद है। यदि विभाग द्वारा अथवा सीएडी विभाग द्वारा उसकी फिटिंग गलत कर दी जाती है तो उसे दुरस्त करने हेतु राज्य सरकार एवम् आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा स्पष्ट आदेश व निर्देश जारी किये हुये है, के अनुसार ही सहायक आयुक्त उपनिवेशन को दुरस्त कर संशोधन करने के अधिकार प्राप्त है और अपीलांटस के इस मामले में भी उसी प्रकार जॉच पडताल कर संशोधन आदेश जारी किया है, लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उन पर गौर किये बिना ही जल्द बाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि की है। चूकि अपीलांटस रिकार्डेड खुदकाश्त खातेदार काश्तकार है, केवल विभाग अथवा कर्मचारियों की गलती से स्कीम में आने पर जहॉ काबिज है, वहॉ फिट नही कर दूसरी जगह पर फिट करने की गलती को दुरस्त न कर सैकडों वर्षों से काबिज व्यक्ति को बेदखल करने का जो आदेश दिया गया है वह प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के खिलाफ है। अन्त में अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–10–2004 निरस्त कर, सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 8–12–2003 बहाल रखे जाने का निवेदन किया गया।

5– इसके विपरीत विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि अपीलांटस अच्छी भूमि को हडपना चाहते है। वादीगण /अपीलांटस ने परीक्षण न्यायालय से गलत आधारों पर दावा को अपने पक्ष में डिक्री कराया हैं, जबकि अपीलांटस/वादीगण की ओर से अपने दावा के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे वादीगण द्वारा दावा में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती हो, फिर भी अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने बिना किसी आधार के निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटिकी है। जबकि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उनके समक्ष विचाराधीन अपील में विस्तार से निर्णय पारित कर ,परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को खारिज कर कोई कानूनी त्रुटि नही की है। अन्त में अपील खारिज खारिज करने का निवेदन किया।

6— अभिभाषक उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगड मुख्यालय, बीकानेर के समक्ष वादीगण / अपीलांटस द्वारा एक वाद बावत घोषणा एवं रिकार्ड दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध राजस्थान सरकार पेश किया था। दावा प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी / रेस्पोडेंट की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। दावा व जबावदावा के आधार पर प्रकरण में कुल 5 तनकियात कायम की गयी।तदोपरान्त विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8—12—2003 के द्वारा वादीगण / अपीलांटस का वाद अन्तगर्त धारा 88—188 व धारा 136 स्वीकार कर तदानुसार दावा डिक्री कर दिया तथा साथ ही यह भी अंकित किया कि इसके अतिरिक्त वादीगण के नाम खसरा नं.100,102,174,276 की 66 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से यदि कोई भाग इनके नाम रहता है तो उसे आराजी राज दर्ज किया जावे। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्राथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा उभयपक्ष की बहस सुन कर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपील का विस्तृत निर्णय पारित करते हुए अपील को स्वीकार किया है,जो उचित व कानूनी सम्मत है। दावे में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादीगण की ओर से अपने दावे के कथनों के समर्थनमें न तो मिलान क्षेत्रफल पेश किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पुराने खसरा नम्बरान 274 व 276 से कौन —कौन से नये खसरा नम्बरान बने है और न ही अपने दावे के समर्थन में अन्य कोई दस्तावेजी ,साक्ष्य पेश किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसके ग्राम जोधासर के उपरोक्त वर्णित खसरे की गलत फिटिंग कर दी गयी हो। परीक्षण न्यायालय ने रिकार्ड व तथ्यों का भली भॉति अवलोकन नही कर दूसरे चक व दूसरे स्थान पर जहॉ अपीलांटस का कही कब्जा नही रहा , अपने अधिकारों से बाहर जाकर बिना रिकार्ड के निर्णय पारित किया है। परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश में रिकार्ड एवं भू प्रबन्ध सर्वे की अनदेखी की है एवम बिना किसी अधार के अपीलांट के मात्र मौखिक कथनों के आधार पर वादीगण को री— फिटिंग के नाम पर राजकीय भूमि का तबादला दे दिया गया है जो उचित व कानून सम्मत नही है। लेकिन विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उसे निरस्त करने में कोई कानूनी त्रुटि नही की है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री

में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि नही है।परिणामस्वरुप अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत अपील खारिज की जाती है। अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26—10—2004 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**मनोज कुमार नाग**) (**मोहन लाल नेहरा**)

सदस्य **सदस्य**